"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 अगस्त 2012—श्रावण 16, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-13/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उप-धारा (23) के अंतर्गत निम्नलिखित आदर्श उप-विधि बनाती है, अर्थात् :—

आदर्श उप-विधि

(छत्तीसगढ़ के नगरपालिक निगमों द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु)

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—**

(1) ये उप-विधियां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां, 2012 कहलाएंगी.

(2) ये उप-विधियां छत्तीसगढ़ में नगर पालिक निगम (शहर का नाम ....) की प्रशासनिक अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगी.

(3) ये उप-विधियां, इस अधिनियम की धारा 432-ए (2) तथा/अथवा 432-ए (3) के अधीन नगर पालिक निगम द्वारा उनके अंगीकृत किए जाने की तारीख से शासन द्वारा अधिसूचना के पश्चात्, जैसा लागू हो, प्रवृत्त होंगी.

2. **परिभाषायें :—** इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956);

(ख) "विज्ञापन" से अभिप्रेत है, सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य किसी उद्देश्य से निजी या सार्वजनिक स्थान में धातु, कांच फ्लेक्स या किसी अन्य वस्तु से होर्डिंग स्थापित करना, मैदान या भवन की छत या दीवार पर या खम्बे या बिजली के खम्बे या किसी अन्य आधार पर किसी विषय या संदेश के सहित या रहित रंगकर या छापकर या बिना रंगे या बिना छपे चिपकाना, टांगना या ढांचे का खड़ा करना या लगाया जाना;

स्पष्टीकरण :—

(1) उपरोक्त में दीवाल लेखन सम्मिलित नहीं है.

(2) वाहनों पर लगे हुए होर्डिंग के आकार में विज्ञापन, चाहे वो स्वचालित हो या हस्तचालित हो, उसमें सम्मिलित नहीं है.

(3) दुकान या स्थापना में लगा मुख्य साइनबोर्ड, जो मूलतः उनका नाम व पता दर्शाता हो, सम्मिलित नहीं है. इसके अतिरिक्त साइनबोर्ड जो दुकान पर या उसके बाहर हो, चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर, होर्डिंग द्वारा विज्ञापन का निर्माण करेगा (माना जाएगा).

(ग) "विज्ञापनकर्ता" से अभिप्रेत है, इन उप-विधियों के अंतर्गत इस रूप में पंजीकृत तथा नगर पालिक क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र में विज्ञापन करने के लिये अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण;

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम में ऐसी हैसियत से नियुक्त अधिकारी;

(ङ) "निगम क्षेत्र" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के भीतर का क्षेत्र;

(च) "प्रदर्शन" से अभिप्रेत है, प्रकाश सहित या रहित, स्थिर, घूमता या चलता हुआ ध्वनि रहित होर्डिंग का स्थिर या गतिशील प्रदर्शन;

(छ) "अवैध विज्ञापन का प्रोत्साहन" से अभिप्रेत है, इन उप-विधियों के उपबंधों के प्रतिकूल विज्ञापन में लिप्तता को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष साधनों से प्रोत्साहित करना या इन उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार आयुक्त तथा/या अधीक्षक द्वारा शक्तियों के प्रयोग या दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप करना या बाधा पहुंचाना;

(ज) "होर्डिंग" से अभिप्रेत है, एक मुखी या बहुमुखी प्रदर्शन-पट, जो धातु, कांच, फ्लेक्स, काष्ठ या अन्य किसी पदार्थ से बनाया गया हो, भूमि पर या ऊंचाई पर स्थापित हो या रखा गया हो, चाहे वह व्यवसायिक या अव्यवसायिक उद्देश्य से हो, चाहे वह उपयोग में हो अथवा न हो, पुते हुये हों या खाली हो, जिसका परिमाप एकल होर्डिंग की दशा में 20 फीट या उससे अधिक हो, तथा मार्ग या अन्य स्थान पर कतार में उपयोग में लाये जा रहे होर्डिंग की दशा में 10 फीट या उससे अधिक हो;

(झ) "अवैध विज्ञापन" से अभिप्रेत है, प्रयोजन के बिना इन उप-विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदर्शित कोई विज्ञापन;

(ञ) "अवैध विज्ञापनकर्ता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या अभिकरण, जो इन उप-विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में होर्डिंग प्रदर्शित करता है;

(ट) "प्रकाशयुक्त" से अभिप्रेत है, विशेषतः रात्रिकाल में विषयवस्तु की दृश्यता को अंदर या बाहर से बढ़ाने हेतु प्रकाशित;

(ठ) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, इन उप-विधियों की उप-विधि 4 के निबंधन में ऐसे रूप में नियुक्त अधिकारी.

3. **विज्ञापन का विनियम :—**

(1) इन उप-विधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से निगम क्षेत्र में समस्त विज्ञापन, जो इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हों, अवैध माने जाएंगे, और इन उप-विधियों के तथा/अथवा अधिनियम के तथा/अथवा किसी अन्य विधि के, जैसा कि

लागू हो, के अंतर्गत अन्य शास्तियों तथा दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा बिना किसी सूचना के हटाने या जब्ती के दायी होंगे:

परन्तु आयुक्त को उप-विधि के प्रवृत्त होने के पश्चात् इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान विज्ञापनकर्ताओं, वैध अथवा अवैध, को 45 दिनों की अवधि का लाभ देने की शक्ति होगी.

परन्तु यह और कि आयुक्त सामान्य जानकारी के लिए प्रवृत्त की जाने वाली उक्त उप-विधि की सूचना दो दिनों तक दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सकेगा, जो विज्ञापन के प्रयोजन हेतु शासन की अनुमोदित सूची में हो तथा जो निगम क्षेत्र में प्रसारित हो तथा उसकी एक प्रति नगर पालिक आयुक्त के कार्यालय में सहजदृश्य स्थान पर चिपकायी जाएगी तथा निगम क्षेत्र में लाउड-स्पीकर पर उसकी घोषणा करायी जायेगी.

परन्तु यह और भी कि, द्वितीय परन्तुक में अनुशंसित कार्यवाही के संबंध में आयुक्त की तरफ से कोई कमी किसी विज्ञापनकर्ता या व्यक्ति को इन उप-विधियों के प्रावधानों के पालन में विफल रहने का कोई कारण प्रदान नहीं करेगी.

(2) इन उप-विधियों के उल्लंघन में होर्डिंग का प्रदर्शन या विज्ञापन व्यवसाय करना अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों में अपराध विरचित करेगा तथा तद्नुसार धारा 434 के अधीन दण्डनीय होगा.

(3) खण्ड (2) के अधीन दण्ड, अधिनियम, तथा/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी अन्य शास्ति/जुर्माने पर जैसा कि अधिरोपित किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

4. **अधीक्षक की नियुक्ति :—**

(1) इन उप-विधियों के प्रवृत्त होने के पंद्रह दिवस के अंदर, आयुक्त अपने पूर्ण मार्गदर्शन में इन उप-विधियों के प्रयोजन हेतु एक अधिकारी को, जो कार्यपालक अभियन्ता के पद से निम्न पद का नहीं होगा, अधीक्षक के रूप में कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्ति करेगा.

(2) ऐसी अवधि, जब तक एक अधीक्षक नियुक्त किया जाए तथा इसके पश्चात् यदि खण्ड (1) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर अधीक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक के लिए आयुक्त इन उप-विधियों के अंतर्गत अधीक्षक समझा जायेगा, जब तक कि ऐसी अवधि में अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर दी जाए.

5. **आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य एवम् कृत्य :—**

(1) आयुक्त को अधिनियम के अधीन उनमें निहित सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त, इन उप-विधियों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :—

(क) उप-विधि 4 के अधीन अधीक्षक को नियुक्त करने तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रकरणों में अधीक्षक को कार्यवाही करने के निर्देश देना.

(ख) अधीक्षक द्वारा निगम क्षेत्र के प्रभाव के लिये यथानिर्मित विज्ञापन जोन की योजना का परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के अनुमोदन करना.

(ग) "विज्ञापन मुक्त क्षेत्र" एवं "विनियमित विज्ञापन क्षेत्र" के रूप में जोन को वर्गीकृत तथा नामेदिष्ट करना.

(घ) प्रत्येक विनियमित विज्ञापन क्षेत्रों के लिये होर्डिंग की अधिकतम संख्या निर्धारित करना, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए सड़क के किनारे, छत के ऊपर, तथा मार्ग के मध्य क्षेत्र में होर्डिंग का स्थल, स्थिति, अनुस्थापन तथा अन्य सुसंगत विशिष्टताओं का पृथक-पृथक निर्धारण करना.

स्पष्टीकरण :— उपर्युक्त कार्य के लिए आयुक्त व्यवसायियों या अन्य व्यक्तियों से, जैसा उसकी राय में आवश्यक हो, अभिमत प्राप्त कर सकेगा.

(ङ) अवैध होर्डिंग के संबंध में होर्डिंग को जब्त करना तथा अन्य समस्त उपाय करना तथा अवैध विज्ञापनकर्ताओं के लिए दण्ड अधिरोपित करना.

(च) अवैध विज्ञापन के प्रोत्साहन पर संज्ञान होना. इन उप-विधियों तथा/या कोई अन्य कानून जैसा कि लागू हो, के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करना.

(छ) शासन या स्थानीय निकाय से संबंधित भूमि/भवन पर विज्ञापन के अधिकारों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित कर न्यूनतम दरें निर्धारित करना.

(ज) उपर्युक्त खण्ड (छ) के अंतर्गत प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को स्वीकृत या निरस्त करना.

(झ) निजी या अन्य सम्पत्ति पर छत के ऊपर विज्ञापन के संबंध में किराये के लिये तल दरें निर्धारित करना.

(ञ) उप-विधि 7 के खण्ड (6) में अंतर्विष्ट प्रावधान के अध्यधीन निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया तथा रीति निर्धारित करना.

(ट) होर्डिंग की स्थिरता तथा उसमें अंतर्वलित जन-सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी मानकों को विहित करना.

(ठ) इन उप-विधियों के प्रयोजनों को प्रभावशील बनाने के लिये वे सभी कार्य, जो आवश्यक हो, करना.

6. **अधीक्षक की शक्तियां, कर्तव्य एवम् कृत्य :—**

(1) इन उप-विधियों को प्रभावशील बनाने के लिये अधीक्षक, आयुक्त के सामान्य निर्देशों के अधीन कार्य करेगा, और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(क) इन उप-विधियों के प्रयोजन के लिये जोन का चार्ट बनाना तथा उस पर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना.

(ख) विनियमित विज्ञापन जोन हेतु जोनवार तथा/अथवा अनेक जोन के आधार पर विज्ञापन अधिकार हेतु निविदा प्रक्रिया में आयुक्त को समर्थन देना.

(ग) विज्ञापनमुक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा होर्डिंग स्थापित करने के किसी प्रयास का आयुक्त को लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा इस संबंध में आयुक्त के आदेशों को प्रभावी बनाना.

(घ) विज्ञापनकर्ता से उन्हें आवंटित परिक्षेत्रों में होर्डिंग स्थापित करने के लिए अनाधिकृत तत्वों के प्रयासों के विषय में शिकायतों को प्राप्त करना तथा इन उप-विधियों के अनुसार इस संबंध में सुधार की कार्यवाही करना.

(ङ) विहित रीति के अनुसार अधीकृत विज्ञापनकर्ताओं के रोस्टर का संधारण करना तथा इन उप-विधियों से संबंधित या इसके अंतर्गत सभी विषयों एवं दस्तावेजों का अभिलेख तैयार कर संधारित या आच्छादित करना.

(च) इन उप-विधियों के अंतर्गत रायल्टी, किराया, शास्तियों तथा अन्य देनदारियों की मांग करना तथा प्राप्त कर निगम खाते में जमा करना.

(छ) होर्डिंग का निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करना तथा यदि संतुष्ट न हो, तो आवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिये आदेशित व प्रवर्तित कराना:

परन्तु 50 फीट से अधिक परिमाप के होर्डिंग्स की दशा में, अथवा संवेदनशील स्थानों अथवा संवेदनशील रूप से लगाये जा रहे होर्डिंग्स की दशा में, अधीक्षक विज्ञापनकर्ता से होर्डिंग्स की सुरक्षा व स्थिरता के संबंध में प्रमाणित स्ट्रक्चरल यंत्री द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा.

स्पष्टीकरण :— संवेदनशील बिन्दु/स्थान/रीति जैसे मामलों में विवाद की स्थिति में आयुक्त का अभिमत अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

(ज) अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिये नोटिस जारी करना एवं नोटिस द्वारा वांछित कार्यवाही न होने पर होर्डिंग्स को हटाने तथा राजसात करने हेतु कार्यवाही करना तथा जुर्माना/शास्ति के अधिरोपण तथा राशि प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करना.

(झ) यदि तथा जब आवश्यक हो, तो अवैध विज्ञापनकर्ताओं एवं वे जो इसे प्रोत्साहन देते हैं, के विरुद्ध कार्यवाही के लिये पुलिस के पास प्राथमिकी तथा/या समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करना.

(ञ) निगम क्षेत्र में सुरक्षित विज्ञापन को प्रोत्साहन देने के लिए जितनी बार संभव हो सके जितना व्यापक संभव हो सके, किसी भी माध्यम से इन उप-विधियों के प्रयोजन तथा उद्देश्य का प्रसार कराना.

(ट) निगम क्षेत्र में विज्ञापन इन उप-विधियों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना.

(ठ) विनिर्दिष्ट स्थानों में होर्डिंग स्थापित करने के लिये अनुमति देने हेतु विनियमित विज्ञापन क्षेत्र में निजी भूमि तथा भवनों के स्वामियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना व स्थल निरीक्षण तथा संरचनात्मक स्थिरता तथा पड़ोसियों की कुशलता, सुरक्षा से संबंधित समाधान हो जाने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 132(6)(ठ) के अंतर्गत जैसा कि विहित किया जाए, उस दर तथा उस समय वर्तमान दरों पर विज्ञापन शुल्क के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए अनुमति प्रदान करना.

7. **विज्ञापन हेतु विहित प्रक्रिया :—**

(1) इन उप-विधियों के प्रभावशील होने की तारीख से निगम क्षेत्र में विज्ञापनों के लिये इस उप-विधि में उपबंधित अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

(2) विज्ञापन के प्रयोजन हेतु आयुक्त द्वारा निगम क्षेत्र को जोन में विभाजित किया जाएगा.
स्पष्टीकरण :— जोन का भौगोलिक क्षेत्र, एक अथवा अधिक वार्डों को सम्मिलित कर, अथवा एक सड़क के बिन्दु "ए" से बिन्दु "बी" तक का भाग हो सकता है.

(3) जोन की दो श्रेणियां होगी :—
(अ) विज्ञापन मुक्त क्षेत्र, तथा
(ब) विनियमित विज्ञापन क्षेत्र

(4) निगम क्षेत्र को उपर्युक्त खण्ड (2) के अंतर्गत विभाजित करते समय, आयुक्त द्वारा इन्हें खण्ड (3) में वर्णित दो श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा.

(5) विज्ञापनमुक्त क्षेत्र में विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(6) विनियमित विज्ञापन क्षेत्र में स्थित शासकीय या स्थानीय निकाय से संबंधित भूमि/भवनों पर विज्ञापन के अधिकार प्रदान करने हेतु आयुक्त ऐसी रीति से पंजीकृत विज्ञापनकर्ताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित करेगा जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा/या शासन द्वारा यथा विहित दिशा निर्देशों में यथा अंतर्विष्ट निविदा आमंत्रित करने के लिए मानक संव्यवहार के अनुरूप हो.

(7) खण्ड (6) के अधीन निविदा, जोन के या जोन के क्लस्टर्स के आधार पर आमंत्रित की जाएगी.

(8) निविदा, विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये आमंत्रित की जाएगी, जो पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी.

(9) आयुक्त निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रत्येक जोन हेतु होर्डिंग की अधिकतम संख्या और होर्डिंग के प्रकार को निश्चित और प्रकट करेगा. खण्ड (6) और (7) के अधीन निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उस जोन में लगाए जाने वाले होर्डिंग की अधिकतम संख्या का उल्लेख किया जाएगा.

(10) सर्वश्रेष्ठ बोली लगाने वाले को जोन में होर्डिंग लगाने के लिए अधिकार प्रदान किए जाएंगे. उसका चयन, उप-विधि 5 के उप-खण्ड (घ) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा विहित बिंदुओं तथा विवरणों के अनुसार उसके वचनबन्ध का निष्पादन तथा रॉयल्टी व नगर निगम के अन्य बकाया भुगतान के अध्यधीन किया जाएगा.

8. **निविदाकर्ताओं को वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा :—**

(1) विज्ञापन अधिकार हेतु प्रत्येक निविदाकर्ता को संलग्न परिशिष्ट-अ में दिए गए प्रपत्र में, जो इन उप-विधियों का भाग है, में विहित अनुसार समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचनबन्ध निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा.

(2) वचनबन्ध प्रस्तुत नहीं करने एवं/या ऐसा करने से इंकार करने पर प्रस्तुत निविदा संक्षेपत: निरंक तथा शून्य हो जाएगी तथा जमा किया गया अग्रिम धन निगम द्वारा राजसात कर लिया जाएगा.

9. **अवैध विज्ञापन को प्रोत्साहन देना :—**

(1) अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देना तथा/या होर्डिंग का अवैध प्रदर्शन अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध होगा तथा जो धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय होगा.

(2) खण्ड (1) के अधीन दण्ड, अधिनियम तथा/या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी अन्य शास्ति/जुर्माने पर जैसा कि अधिरोपित किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

10. **निरसन एवं व्यावृत्ति :—** इस उप-विधियों के तत्स्थानी और इन उप-विधियों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त उप-विधियां इन उप-विधियों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है.

परन्तु इस प्रकार निरसित उप-विधियों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन उप-विधियों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

परिशिष्ट–अ

वचनबन्ध

[विज्ञापनकर्ता–आवेदक द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधियां, 2012 की उप–विधि–7 (10) के अंतर्गत गैर–न्यायिक स्टाम्प पत्र पर इन विधियों की उप–विधि (4) के अंतर्गत नियुक्त अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाना है]

.... नगर पालिक निगम द्वारा मुझे/हमें नगर पालिक निगम विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधि, 2012 की उप–विधि 7 के निबंधन में विज्ञापन अधिकार प्रदान किए जाने के एवज में निगम के क्षेत्र .... के जोन .... में व्यापार/व्यवसाय की सुरक्षित प्रैक्टिस हेतु मैं/हम .... अधो–हस्ताक्षरकर्ता सत्य–निष्ठापूर्वक निम्नलिखित वचन देते और घोषणा करते हैं :—

(1) यह कि मैं/हम होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करूंगा/करेंगे और होर्डिंग्स की पूरी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करूंगा/करेंगे.

(2) यह कि मैं निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित्त पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाऊंगा.

(3) उपर्युक्त खण्ड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मैं/हम निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी प्रकार की क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई हेतु सम्पूर्ण रूप से दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे.

(4) यह कि मैं/हम मात्र ऐसी संख्या, स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे जैसा कि आयुक्त द्वारा विहित किया जाए तथा जिससे न तो पैदल चलने वाले को और न यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और न ही उनकी रोशनी से आंखे चौंधियाने व अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे. तथा यदि अधीक्षक द्वारा ऐसी स्थिति पाई जाए या मुझे/हमें लिखित रूप से सूचित किया जाए तो मैं/हम अधीक्षक की संतुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करूंगा/करेंगे.

(5) यह कि अधीक्षक द्वारा मुझे/हमें लिखित में उपर्युक्त (4) के अंतर्गत स्थिति सूचित करने के उपरांत 72 घंटों के भीतर मेरे/हमारे द्वारा किन्हीं भी कारणों से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने और/अथवा होर्डिंग को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होगा और मैं/हम इस संबंध में निगम द्वारा लिखित में मांगे गये खर्च और शास्ति के भुगतान हेतु दायित्वाधीन रहूंगा/रहेंगे.

(6) यह कि किसी स्थल पर होर्डिंग के प्रदर्शन करने और/अथवा होर्डिंग लगाने हेतु कोई संरचना/ढांचा खड़ी करने से पूर्व मैं/हम उस भूमि/भवन के स्वामी की विशिष्टियां सुनिश्चित करूंगा/करेंगे, उससे लिखित में अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे और किराए तथा अन्य शुल्कों के निर्धारण और भुगतान के बाद ही उस पर होर्डिंग प्रदर्शित करने हेतु संरचना/ढांचा खड़ा करूंगा/करेंगे.

(7) यह कि विद्युत अथवा अन्य विभाग के खम्भों पर होर्डिंग को श्रृंखलाबद्ध रूप से लगाने के संबंध में मैं/हम संबंधित विभाग/प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करूंगा/करेंगे व किराए और अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो के निर्धारण एवं भुगतान के बाद ही होर्डिंग लगाने की दिशा में आगे बढूंगा/बढ़ेगे.

(8) यह कि मैं/हम इसे भलीभांति समझता हूं/समझते हैं और स्वीकार करता हूं/करते हैं कि निगम क्षेत्र में मेरे/हमारे द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति द्वारा चिपकायें अथवा/अन्यथा विकृत किये जाने या नुकसान पहुंचाने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं है तथा मेरे/हमारे द्वारा निगम को इस हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा लेकिन इस प्रकार होर्डिंग्स को विकृत करने तथा/या नुकसान पहुंचाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने के अपने अधिकार को मैं/हम सुरक्षित रखता हूं/रखते हैं.

(9) यह कि जब कभी अधीक्षक होर्डिंग के स्थल और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे का निरीक्षण करना चाहे तो मैं/हम अपने खर्चे पर ऐसा निरीक्षण आयोजित करूंगा/करेंगे.

(10) यह कि जब कभी अधीक्षक द्वारा किसी होर्डिंग और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जायेगा तब मैं/हम अपने व्यय पर अधीक्षक की संपूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करूंगा/करेंगे और उसे प्रस्तुत करूंगा/करेंगे.

(11) यह कि मैं/हम निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधि, 2012 की उप-विधि 8 के अनुरूप जैसे कि विहित और लागू हो, होर्डिंग शुल्क का भुगतान निश्चित समय के अंदर करूंगा/करेंगे.

(12) यह कि मैंने/हमने विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधि, 2012 के उद्देश्य, आशय और प्रयोजन को पढ़ एवं समझ लिया है और मैंने/हमने इन उप-विधियों के अंतर्गत समस्त अपेक्षाओं को अंकित कर लिया है और यह कि मैं/हम इन उप-विधियों का संपूर्ण और भलीभांति अनुपालन करने को वचनबद्ध हूं/हैं.

(13) मैं/हम यह मानता हूं/मानते हैं तथा स्वीकार करता हूं/करते हैं कि जान-बूझकर इन उप-विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आयुक्त द्वारा मुझे/हमें संपूर्ण प्रदेश में काली सूचीबद्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

(14) यह कि सभी प्रकार की सूचनाओं और अन्य पत्राचार के प्रयोजन हेतु मेरा/हमारा संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :-

नाम :-

पदनाम :-

पता :-

दूरभाष क्रमांक :- (मोबाईल/लैण्डलाइन)

फैक्स नं. (यदि हो)

ई मेल आई डी

मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एवं मेरे/हमारे द्वारा निम्नांकित गवाहों की मौजूदगी में दिनांक .... माह .... को .... स्थान .... में .... निगम को प्रदान किया गया.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम और पदनाम

गवाह :-

(1)

(2)

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 5-13/18/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना एफ 5-13/18/2011 दिनांक 07-08-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 7th August 2012

NOTIFICATION

No. F-5-13/18/2011.—In exercise of the powers conferred by section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following Model Bye-laws under sub-section (23) of Section 427 of the said Act, for regulation of the trade/service of advertisements by Municipal Corporations in the State, namely :—

MODEL BYE-LAWS

(For Adoption by Municipal Corporations in Chhattisgarh)

1. **Short title, extent and Commencement :—**

(1) These bye-laws may be called the Advertisement (Registration and Regulation) Bye-laws, 2012.

(2) These Bye-laws shall be applicable in the area covered by the administrative jurisdiction of the Municipal Corporation of (name of the city) in Chhattisgarh.

(3) These Bye-laws shall come into force, subsequent to notification by the Government, from the date of their adoption by the Corporation under Section 432-A (2) and/or section 432-A (3) of the Act, as applicable.

2. **Definitions :—** In these bye-laws unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) as amended from time to time;

(b) "Advertisement" means the installation of a hoarding, made of metal, glass, flex or any other material, in public or private place, hung or suspended or affixed or fastened to a structure or scaffold, grouted or anchored to the ground or upon the terrace of a building or a wall, or post or electrict pole or any other support, with or without any matter or massage, for social, commercial or any other purpose, painted or imprinted thereon or not painted and imprinted thereon;

Explanation:—

(1) Scripting on walls are not included in the above.

(2) Advertisements in the form of hoardings mounted on vehicles, whether automated or manually pedalled, are not included.

(3) The prime signboard on a shop or establishment meant basically to display its name and address is excluded. Additional signboards on a shop or outside it, whether fixed or not fixed, will constitute advertisement through hoarding.

(c) "Advertiser" means a person or agency registered as such under these bye-laws, and entitled to advertise in a specified zone, in the Municipal area.

(d) "Commissioner" means the officer appointed as such in the Municipal Corporation.

(e) "Corporation area" means the area within the administrative jurisdiction of the Municipal Corporation.

(f) "Display" means passive or dynamic display of a hoarding, with or without illumination, in static, rotating or moving form, with or without audio accompaniment.

(g) "Encouragement of Illegal Advertisement" means encourageing, by direct and indirect means, indulgence in advertisement in contravention of the provisions of these bye-laws or interferring in or obstruction the discharge of duties or exercise of power by the Commissioner and/or the superintendent in accordance with the provisions of these bye-laws;

(h) "Hoarding" means a display board single-faced or multiple-faced, made of metal, glass, flex, wood or any other material, fastened or unfastened, on ground or at a height, meant for commercial or non-commercial purpose, in use or not in use, painted or blank, that has a perimeter of 20 feet or more in the case of individual hoarding, and 10 feet or more in the case of hoardings used in series on a road or eslewhere;

(i) "Illegal Advertisement" means any advertisement, irrespective of purpose, displayed in contravention of the provisions of these bye-laws;

(j) "Illegal Advertiser" means any person or agency who displays a hoarding in contravention of the provisions contained in these bye-laws;

(k) "Illuminated" means lit up from inside or outside to enhance visibility of the content, especially during night;

(l) "Superintendent" means the officer appointed as such in terms of bye-laws 4 of these bye-laws.

3. **Regulation of Advertisement :—**

(1) From the date these bye-laws come into force, all advertisement in the Corporation area in contravention of the provisions contained herein shall be illegal and liable for removal and confiscation without notice and without prejudice to other penalties and punishment under these bye-laws, and/or the Act and/or any other law as may be applicable.

Provided that the Commissioner shall have the power to allow a start-up grace period of forty-five days after the bye-laws come into force to enable current advertisers, legal or illegal, to ensure compliance with the provisions contained herein.

Provided further that the Commissioner may, for general information, publish a notice of the above bye-laws having come into force for two days in such two daily newspapers which are in the approved list of Government for advertisement purpose and which have circulation in the Corporation area, and affix a copy thereof in a conspicuous place in the office of the Municipal Commissioner and cause an announcement in the Corporation area on the loud speaker.

Provided also that no shortcoming on the part of the Commissioner in respect of action recommended in second Proviso shall provide reason to any advertiser or person for failure to comply with the provisions of these bye-laws.

(2) Practice of advertisement or display of hoarding(s) in contravention of these bye-laws shall constitute an offence in terms of section 248 of the Act, and shall be punishable under section 434 accordingly.

(3) The punishment under clause (2) shall be without prejudice to any other penalty/fine that may be imposed under the Act and/or any other law for the time being in force.

4. **Appointment of Superintendent :—**

(1) Within fifteen days of these bye-laws coming into force, the Commissioner shall appoint an officer not below the rank of an Executive Engineer as Superintendent for executing, under his overall guidance, the purpose of these bye-laws.

(2) Till such time as a Superintendent is appointed, and, thereafter, if a Superintendent is not appointed under clause (1) within the prescribed time, the Commissioner shall be deemed to be the Superintendent under these bye-laws till such time as another officer is appointed.

5. **Powers, duties an functions of the Commissioner :—**

(1) Apart from the general powers vested in him under the Act, for the purposes of enforcement of these bye-laws, the Commissioner shall have the following powers :—

(a) To appoint Superintendent under section bye-law 4, and to instruct the Superintendent to act in specific cases in accordance with the provisions of law.

(b) To approve, with or without changes, the plan for division of the corporation area into advertisement zones as prepared by the Superintendent.

(c) To categorize and designate the zones as 'No Advertisement Zone' and 'Regulated Advertisement Zone'.

(d) To prescribe the maximum number of hoardings for each of the regulated advertisement zones, separately for roadside, roof-top and central verge, and to land-mark the location, position, orientation, size and other relevant particulars of the hoardings for each zone.

Explanation: for doing the above, the Commissioner may obtain the view of professionals and others as may be necessary in his opinion.

(e) To confiscate hoarding and all other paraphernalia in respect of illegal hoardings and to quantify punishment for illegal advertisers.

(f) To take cognizance of encouragement of illegal advertisement and to act against the offenders according to the provisions of these bye-laws and/or any other law as may be applicable.

(g) To fix upset price for bids inviting offers from eligible persons for advertisement rights on land/building belonging to Government or the local body.

(h) To accept or reject any or all offers received under clause (g) above.

(i) To fix the floor-rates for rent in respect of roof-top advertisement on private and other property.

(j) To prescribe the process and manner of inviting bids, subject to the provision contained in clause (6) of bye-law 7.

(k) To prescribe the technical norms for ensuring stability of the hoardings and public safety involved therein.

(l) To do all that may be necessary to give effect to the purposes of these bye-laws.

6. **Powers, duties and functions of the Superintendent :—**

(1) In enforcing these bye-laws, the Superintendent shall act under general instructions of the Commissioner, and shall exercise the following powers, and do the following acts :—

(a) To chart out the zones for the purposes of these bye-laws and to get the same approved by the Commissioner.

(b) To support the Commissioner in the process of inviting bids for advertising rights on the basis of zone and/or cluster of zone for regulated advertisement zones.

(c) To report to the Commissioner in writing any attempt by anybody to set up hoardings in the no-advertisement zone(s), and to give effect to the orders of the Commissioner in this regard.

(d) To receive complaints from advertisers regarding attempts by unauthorized elements to set up hoardings in their allotted zones, and to take corrective action in this regard in accordance with these bye-laws.

(e) To maintain a roster of the authorized advertisers in a manner as may be prescribed, and maintain a record of all matters and documents relating to or covered under these bye-laws.

(f) To demand and receive royalties, rents, penalties and all dues under these bye-laws into the Corporation account.

(g) To inspect the hoardings to verify their safety and stability and, if not satisfied, to order and inforce needful corrective measures :

Provided that in the case of hoardings of perimeter over 50 feet, or hoardings installed or meant to be istalled at sensitive places or in sensitive manners, the Superintendent shall require the Advertiser to obtain and produce specific certificate regarding safety and stability from a qualified structural engineer.

Explanation : in the event of a dispute regarding which points/places/manners are sensitive, the opinion of the Commissioner shall be final and binding.

(h) To issue notice (s) for removal of illegal hoardings and, if the notice does not bring forth the desired action, to cause removal and confiscation of the illegal hoarding, and intiate further action for imposition and realization of fine/penalties.

(i) To file, if and when necessary, FIRs with the police and/or complaints with other appropriate authorities for action against illegal advetisers and those that encourge it.

(j) To disseminate the object and purpose of these bye-laws by whatever means, as often as possible, as widely as possible to promote safe advertisement in the Corporation area.

(k) To ensure that all the advetisements in the Corporation area are in accordance with these bye-laws.

(l) To receive applications from owners of private lands and buildings in the regulated advertisement zone for permission to install hoarding at specific places and to grant permission after site inspection and satisfaction regarding structural stability and neighbourhood safety, security and subject to payment of advertisement tax at rates as may be prescribed under Section 132(6)(l) of the Act and current rate at that time.

7. **Procedure prescribed for advertisement :—**

(1) From the date these bye-laws come into force, the procedure to be followed for advertisements in Corporation area shall be as provided in this bye-law.

(2) The Commissioner shall cause division of the Corporation area into zones for the purpose of advertiscment.

Explanation : A zone may be a geographical area consisting of one or more wards or a stretch of road from point A to point B.

(3) There shall be two categories of zones as follows : (a) No Advertisement Zone; and (b) Regulated Advertisement Zone.

(4) When dividing the Corporation area into zones under clause (2) above, the Commissioner shall categories it under either of the two categories described in clause (3).

(5) No advertisement shall be allowed in the No advertisement zone.

(6) For assigning rights to advertise on land/building belonging to Government or the local body situated in the Regulated Advertisement Zone, the Commissioner shall invite sealed offers from registered advertisers in a manner that conforms to the standard practices for inviting tenders as

contained in the guidelines of the Central Vigilance Commission and/or as prescribed by the State Government.

(7) The offers under clause (6) shall be invited on zone basis, or on the basis of clusters of zones.

(8) The offers shall be invited for a specified time, not exceeding five years.

(9) The Commissioner, shall determine and disclose before the bids are invited, the maximum number of hoardings and the type of hoardings for every zone. The notice inviting offers under clause (6) and (7) shall indicate the maximum number of hoardings that may be installed in the zone.

(10) The best bidder shall be granted the right to set up hoardings in the zone(s) he has been selected for, at the points and according to the particulars prescribed by the Commissioner under clause (d) of bye-law 5 subject to his executing an undertaking and making payments to the Municipal Corporation against royalty and all other dues.

8. **Bidders to furnish undertaking :—**

(1) Every bidder competing for advertisement rights shall be required to furnish an undertaking on non-judicial Stamp Paper of appropriate value, according to the prescribed manner, in the format given in Appendix A attached to and forming part of these bye-laws.

(2) Failure to submit the undertaking and/or refusal to do so shall summarily render the bid as null and void and earnest money deposited shall be forfeited by the Corporation.

9. **Encouragement of illegal advertisement :—**

(1) Encouragement of illegal advertisement and/or illegal display of hoardings shall constitute an offence in terms of section 248 of the Act, punishable in terms of section 434.

(2) The punishment under clause (1) shall be without prejudice to any other penalty/fine that may be imposed under the Act and/or any other law for the time being in force.

10. **Repeal and saving:—** All bye-laws corresponding to these bye-laws and in force immediately before the commencement of these bye-laws are hereby repealed in respect of matters covered by the bye-laws:

Provided that any order made or any action taken under the bye-laws so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these bye-laws.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

APPENDIX-A

UNDERTAKING

[To be submitted by the Advertiser-applicant, to Superintendent appointed under bye-law 4 of these Bye-laws, on Non-Judicial Stamp Paper Under bye-law 7 (10) of the Advertisement (Registration and Regulation) Bye-laws, 2012]

In consideration of the Municipal Corporation of .... granting to me/us advertisement rights in terms of bye-laws 7 of the Advertisements (Registration and Regulation) Bye-laws, 2012, for safe practice of the trade/business of advertisement in .... zone(s) in the Corporation Area of ...., I/we named below solemnly undertake and state as follows :

1. That I/we shall at all times display hoardings with utmost safety and only after ensuring full security and stability of the hoarding;

2. That I shall obtain third party insurance for a fair amount to secure myself against liability arising from any fatality, injury or damage, whether by accident, acts of god, or my own negligence, that may be caused to any person or property attributable to the display of advertisement by me at any place in the Corporation area;

3. That notwithstanding anything stated or contained in clause 2 above, I/we take sole and complete responsibility upon me/us for all liability arising from any fatality, injury or damage, whether by accident, acts of god, or my own negligence, that may be caused to any person or property attributable to the display of advertisement by me at any place in the Corporation area:

4. That I/we shall display advertisement only in such number, places and manner as prescribed by the Commissioner, and that does not disturb or obstruct traffic or pedestrian movement, nor hurt their vision through glare, blinding light or in any other manner, and, if such a threat is discovered or communicated to me/us by the Superintendent in writing, I/we shall forthwith take corrective measures to the satisfaction of the Superintendent.

5. That after a threat under clause 4 above is communicated to me/us by the Superintendent in writing, if I/we fail to take corrective measures within 72 hours, for any reason whatsoever, the Superintendent will be at liberty to correct the fault and/or remove the hoarding and I/we shall be liable to pay all costs and fine as may be demanded in writing by the Corporation in this regard;

6. That before displaying hoarding at any spot and/or before erecting a structure/scaffold for supporiting display of a hoarding. I/we shall ascertain particulars of the owner of the land/building, obtain due permission from him/her in writing, and only after settlement and payment of rent and other charges, if any, I/we shall proceed with the display of hoarding and/or erection of the scaffold/support for the same.

7. That in respect of serial display of hoardings on cerntral verge on poles belonging to the electricity or other department, I/we shall duly obtain permission from the department/authority concerned and only after settlement and payment of rent and other charges, if any, I/we shall proceed with the display of hoarding.

8. That I fully understand and accept that the Corporation has no responsibility for any person pasting and/or otherwise defacing and/or damaging the hoarding displayed by me in the Corporation area, and that I/we shall not hold the Corporation liable for this but reserve our rights to take action according to law against the person responsible for such defacing and/or damage.

9. That if and when the Superintendent desires to inspect the spot and/or the supporting structure of the hoarding, I/we shall at our cost organize such inspection;

10. That if and when the Superintendent directs in writing to produce certificate regarding stability and safety of any hoarding and/or the supporting structure, I/we shall at our cost organize to obtain and produce such certificate to the full satisfaction of the Superintendent.

11. That I/we shall pay to the Corporation Hoarding Fee as may be prescribed and applicable, duly and within the prescribed time in accordance with bye-law 8 of the Advertisement (Registration and Regulation) Bye-laws, 2012.

12. That I/we have read and understood the object, intent and purpose of the Advertisement (Registration and Regulation) Bye-laws, 2012, that I/we have noted all requirements under these bye-laws, and that I/we fully submit to these bye-laws for full and proper compliance;

13. I/we understand and accept that in the event of our willfully acting in contravention of the provisions contained in these bye-laws, the Commissioner may take appropriate steps to get me/us blacklisted in the entire State;

14. That for the purpose of all notices and other correspondence, my/our contact details are as below;

Name :
Designation :
Address :
Telephone Number (mob/LL) :
Fax No. (If any) :
E-mail ID :

Signed by me/us in my/our own hand and delivered to the Corporation on..........day of.............20.......at........in the presence of the withnesses named below.

Authorized Signatory
Full Name and Designation

Witnesses

1 2

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.